D:\ADN\ALL LETTERS 2017.DOCX242

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 4(1)(312)पोषा/विविध/ICDS/2012/ 13132-54 जयपुर, दिनांकः 16/07/2018

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– आरटीई/गरम पूरक पोषाहार के नियमित भुगतान बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत चालू वित्तिय वर्ष 2018–19 में आपके अधीनस्थ सभी परियोजनाओ को विभिन्न मदो में बजट आवंटन किया जा चुका है। जिसके सन्दर्भ में माह मई 2018 की भुगतान स्थिति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आरटीई/गरम पूरक पोषाहार का भुगतान समय पर नही हो रहा है। स्वयं सहायता समूहो को समय पर भुगतान नही किये जाने से पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति में व्यवधान की संभावना रहती है, जिससे विभागीय निर्देशो एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत गठित पूरक पोषाहार नियमावली 2017 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित नही होती है जिससे विभागीय सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पडता हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि आप व्यक्तिगत रूप से भुगतान स्थिति की समीक्षा कर स्वयं सहायता समूहों को समय पर भुगतान कराना सुनिश्चित करावें, ताकि विभागीय लक्ष्यों की पूर्ण पालना सुनिश्चित हो सके। भुगतान के अभाव में आंगनबाडी केन्द्रो पर पूरक पोषाहार की उपलब्धता नही होने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा।

(मनोज कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक–एफ. 4(1)(312)पोषा/विविध/ICDS/2012/ 13345-651 जयपुर, दिनांकः 16/07/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. वित्तिय सलाहकार, मुख्यालय
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
3. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(मनोज कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)